झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक विविध याचिका सं. **2833/2023**

विक्रम कुमार, उम्र 45 वर्ष, पिता- स्व. हीरालाल, सी 134, रोड नंबर 4, विद्यालय मार्ग के पास, अशोक नगर, डाकघर- अशोक नगर, थाना- अशोक नगर, जिला रांची

याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. नवीन कुमार अग्रवाल, पिता -स्व. हीरालाल अग्रवाल, 3/6 एचएस टॉवर, एल रोड, डाकघर- बिस्टुपुर, थाना- बिस्टुपुर, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड; स्थायी निवासी 193/3 सुधा भवन, न्यू सिताराम डेरा, डाकघर- न्यू सिताराम डेरा, थाना- न्यू सिताराम डेरा, जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम

विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए: श्री विकास पांडे, अधिवक्ता

श्री दीपक कृष्ण सिन्हा, अधिवक्ता

श्री जनक कृष्ण मिश्रा, अधिवक्ता

श्री संजय कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता

सुश्री दीक्षा द्विवेदी, अधिवक्ता

सुश्री राखी शर्मा, अधिवक्ता

राज्य के लिएः सुश्री स्नेहलिका भगत, अतिरिक्त लोक अभियोजक

विरोधी पक्ष 2 के लिए: सुश्री निहारिका रॉय, अधिवक्ता

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा : दोनों पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका इस न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग करते हुए दायर की गई है, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, जिसमें बिस्टुपुर थाना मामला संख्या 144/2023 के तहत दर्ज आपराधिक अभियोग को समाप्त करने की प्रार्थना की गई है, जो भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 406, 420 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए है और जो वर्तमान में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता और विपक्षी पार्टी संख्या 2 के लिए अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से इस न्यायालय का ध्यान अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 10968/2023 की ओर आकर्षित किया है, जिसे याचिकाकर्ता और विरोधी पक्ष संख्या 2 (सूचना देने वाला) के अलग-अलग हलफनामों द्वारा समर्थन प्राप्त है; जिसमें उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता और विरोधी पक्ष संख्या 2 ने 15.09.2023 को समझौते के ज्ञापन के माध्यम से मामले का समझौता किया है और समझौते की शर्तों का पालन भी किया गया है। पक्षों के बीच पूर्ण और अंतिम निपटान के दृष्टिगत, विपक्षी पार्टी संख्या 2 उक्त बिस्टुपुर थाना मामला संख्या 144/2023 को आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं रखती।

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि पक्षों के बीच विवाद मूलतः एक निजी विवाद है और इस मामले में कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है और कुछ गलतफहमी के कारण, याचिकाकर्ता के खिलाफ यह झूठा मामला स्थापित किया गया था। याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि पक्षों के बीच समझौते के दृष्टिगत, इस आपराधिक प्रक्रिया का जारी रहना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा क्योंकि समझौते के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता की सजा होने की संभावना बहुत कम और धुंधली है। अपने तर्क को मजबूत करने के लिए, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता माननीय भारत सुप्रीम कोर्ट द्वारा नारिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य मामले में दिए गए निर्णय पर निर्भर करते हैं, जो (2014) 6 एससीसी 466 में रिपोर्ट किया गया है, जिसका अनुच्छेद 29 इस प्रकार है:

> *29.उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, हम निम्नलिखित सिद्धांतों का संक्षेप में उल्लेख करते हैं जिनके द्वारा उच्च न्यायालय पक्षों के बीच समझौते को उचित उपचार देने और समझौते को स्वीकार करते हुए या आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करते हुए या समझौते*

को स्वीकार करने से इंकार करते हुए धारा 482 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करेगा:

29.1. धारा 482 के तहत प्रदत्त अधिकार को उस अधिकार से भिन्न करना होगा जो न्यायालय के पास धारा 320 के तहत अपराधों को समेटने का है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के पास आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने का अंतर्निहित अधिकार है, भले ही वे मामले समेटने योग्य न हों, जहां पक्षों ने आपस में मामला सुलझा लिया हो। हालाँकि, इस अधिकार का प्रयोग सावधानीपूर्वक और सीमित रूप से किया जाना चाहिए।

29.2. जब पक्षों ने समझौता कर लिया हो और उसी आधार पर आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए याचिका दायर की गई हो, तो ऐसे मामलों में मार्गदर्शक कारक होगा:

(i) न्याय का उद्देश्य, या

(ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना।

अधिकार का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को उपरोक्त दो उद्देश्यों में से किसी एक पर विचार करना चाहिए।

29.3. ऐसे अभियोगों में यह अधिकार नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए जो मानसिक विकृति या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित हों। ऐसे अपराध निजी स्वभाव के नहीं होते हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार, विशेष अधिनियम जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किए गए अपराध या सार्वजनिक सेवकों द्वारा अपने कार्यकाल में किए गए अपराधों को केवल पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते के आधार पर समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

29.4. दूसरी ओर, उन आपराधिक मामलों को समाप्त किया जाना चाहिए जिनका प्रमुख रूप से नागरिक चरित्र है, विशेष रूप से वे जो वाणिज्यिक लेनदेन या वैवाहिक संबंधों या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न होते हैं, जब पक्षों ने अपने सभी विवादों को आपस में सुलझा लिया हो।

29.5. अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को यह जांचना चाहिए कि क्या सजा की संभावना बहुत कम और धुंधली है और आपराधिक मामलों का जारी रहना आरोपी पर अत्यधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह डाल सकता है और आपराधिक मामलों को समाप्त न करने पर उसे अत्यधिक अन्याय का सामना करना पड़ेगा।

29.6. भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध घातक और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए इन्हें सामान्यतः समाज के खिलाफ अपराध माना जाना चाहिए न कि केवल व्यक्ति के खिलाफ। हालाँकि, उच्च न्यायालय का निर्णय केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि एफआईआर में धारा 307 आईपीसी का उल्लेख है या आरोप इस प्रावधान के तहत तैयार किया गया है। उच्च न्यायालय यह जांचने के लिए स्वतंत्र होगा कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का समावेश केवल इसके लिए किया गया है या अभियोजन ने पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं, जो यदि साबित होते हैं तो धारा 307 आईपीसी के तहत आरोप साबित करने की दिशा में ले जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए, उच्च न्यायालय यह देख सकता है कि चोट की प्रकृति क्या है, क्या ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/नाजुक हिस्सों पर लगी है, प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति आदि। पीड़ित द्वारा झेली गई चोटों की चिकित्सा रिपोर्ट सामान्यतः मार्गदर्शक कारक हो सकती है। इस प्राइमाफेसी विश्लेषण के आधार पर, उच्च न्यायालय यह जांच सकता है कि क्या सजा की संभावना मजबूत है या सजा की संभावना बहुत कम और धुंधली है। पूर्व स्थिति में यह समझौते को स्वीकार करने से इंकार कर सकता है और आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर सकता है जबकि बाद की स्थिति में उच्च न्यायालय को पक्षों के बीच पूर्ण समझौते के आधार पर अपराध समेटने का अनुरोध स्वीकार करना उचित होगा। इस चरण में, अदालत इस तथ्य से भी प्रभावित हो सकती है कि पक्षों के बीच समझौता उनके बीच सामंजस्य लाने जा रहा है जो उनके भविष्य के संबंध को सुधार सकता है।

29.7. यह तय करते समय कि क्या धारा 482 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करना है या नहीं, समझौते का समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे मामले जहां समझौता कथित अपराध किए जाने के तुरंत बाद किया गया हो और मामला अभी भी जांचाधीन हो, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही/जांच को समाप्त करने हेतु समझौते को स्वीकार करने में उदार हो सकता है। इसका कारण यह है कि इस चरण में जांच अभी भी चल रही है और यहां तक कि चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है। इसी तरह, वे मामले जहां आरोप तैयार किया गया हो लेकिन सबूत अभी शुरू नहीं हुए हैं या सबूत अभी प्रारंभिक चरण में हैं, उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का सकारात्मक रूप से प्रयोग करने में उदारता दिखा सकता है, लेकिन ऊपर बताए गए परिस्थितियों/सामग्री का प्राइमाफेसी आकलन करने के बाद। दूसरी ओर, जहां अभियोजन सबूत लगभग पूरा हो चुका हो या सबूत समाप्त होने के बाद मामला तर्क के चरण में हो, सामान्यतः उच्च न्यायालय को धारा 482 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करने से बचना चाहिए

क्योंकि ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट मामले को अंततः merits पर तय करने की स्थिति में होगा और यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि क्या धारा 307 आईपीसी का अपराध हुआ है या नहीं। इसी प्रकार, उन मामलों में जहां ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले ही सजा दी जा चुकी है और मामला उच्च न्यायालय के समक्ष अपील चरण में है, केवल पक्षों के बीच समझौता होना पहले से ही ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए अपराधी की बरी होने का आधार नहीं होगा। यहां चार्ज धारा 307 आईपीसी के तहत साबित होता है और घातक अपराध की पहले ही सजा दी जा चुकी है और इसलिए ऐसे अपराधी को छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता।" (जोर दिया गया)

4. याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता आगे इस न्यायालय द्वारा विवेक हजेला बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में 20 दिसंबर, 2023 को पारित निर्णयों पर निर्भर करते हैं, जो आपराधिक विविध याचिका संख्या 2175/2023 में है और मुकेश कुमार तिवारी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में 20 दिसंबर, 2023 को पारित निर्णय में है, जो आपराधिक विविध याचिका संख्या 2174/2023 में है, जहां याचिकाकर्ताओं के मामले को पक्षों के बीच समझौते के दृष्टिगत समाप्त और रद्द किया गया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि बिस्टुपुर थाना मामला संख्या 144/2023 से उत्पन्न समस्त आपराधिक अभियोग, जो वर्तमान में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, को समाप्त और रद्द किया जाए।

5. राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रस्तुत करते हैं कि पक्षों के बीच समझौते के दृष्टिगत, राज्य को बिस्टुपुर थाना मामला संख्या 144/2023 से उत्पन्न समस्त आपराधिक अभियोग को समाप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है, जो वर्तमान में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जमशेदपुर के समक्ष लंबित है।

6. बार में की गई प्रतिकूल प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने के बाद, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि माननीय भारत सुप्रीम कोर्ट ने पारबतभाई आहीर उर्फ पारबतभाई भीमसिंहभाई कर्मूर एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य मामले में (2017) 9 एससीसी 641 में उच्च न्यायालय की धारा 482 के तहत अधिकारिता पर विचार करने का अवसर प्राप्त किया था, विशेष रूप से पक्षों के बीच समझौते के आधार पर और अनुच्छेद संख्या 11 में इस प्रकार कहा गया:

11. धारा 482 एक अतिरेक प्रावधान के साथ शुरू होती है। यह अधिनियम उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को बचाता है, जो एक उच्चतर न्यायालय के रूप में

आवश्यक आदेश देने के लिए हैं (i) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; या (ii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए। गियान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303 : (2012) 4 एससीसी (नागरिक) 1188 : (2013) 1 एससीसी (आपराधिक) 160 : (2012) 2 एससीसी (एल एंड एस) 988 में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर पूर्ववर्ती मामलों की चर्चा की और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित किए जिन्हें उच्च न्यायालय को अंतर्निहित अधिकार का प्रयोग करते समय FIR या शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेते समय विचार करना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले विचार हैं: (एससीसी पृष्ठ 342-43, अनुच्छेद 61)

> *61.... उच्च न्यायालय का आपराधिक कार्यवाही या FIR या शिकायत को समाप्त करने का अधिकार उसके अंतर्निहित अधिकार का प्रयोग करते समय उस अधिकार से भिन्न और अलग है जो आपराधिक अदालत को धारा 320 के तहत अपराधों को समेटने के लिए दिया गया है। अंतर्निहित शक्ति व्यापक होती है जिसमें कोई वैधानिक सीमा नहीं होती, लेकिन इसे उस दिशा-निर्देश के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए जो इस शक्ति में निहित है अर्थात्: (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या FIR को समाप्त करने का अधिकार उन मामलों में प्रयोग किया जा सकता है जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद को सुलझा लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती। हालाँकि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित ध्यान देना चाहिए। मानसिक विकृति या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे घातक और गंभीर अपराधों को उचित रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, भले ही पीड़ित या पीड़ित का परिवार और अपराधी ने विवाद सुलझा लिया हो। ऐसे अपराध निजी स्वभाव के नहीं होते हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं।*
>
> *इसी प्रकार, विशेष अधिनियम जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किए गए अपराधों या सार्वजनिक सेवकों द्वारा अपनी क्षमता में किए गए अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता आपराधिक कार्यवाही को*

समाप्त करने का आधार नहीं हो सकता। <u>लेकिन उन आपराधिक मामलों में जिनका प्रमुख रूप से नागरिक स्वरूप होता है, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, नागरिक, साझेदारी या इसी तरह के लेन-देन से उत्पन्न होने वाले अपराधों या दहेज से संबंधित विवाह संबंधी अपराधों या पारिवारिक विवादों में जहां गलती मूलतः निजी या व्यक्तिगत स्वभाव की होती है और पक्षों ने अपने सभी विवाद सुलझा लिए हैं</u>, उच्च न्यायालय उन आपराधिक कार्यवाहियों को समाप्त कर सकता है यदि उसकी दृष्टि में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण सजा की संभावना बहुत कम और धुंधली है और आपराधिक मामले का जारी रहना आरोपी पर अत्यधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह डाल सकता है और उसे पूर्ण और संपूर्ण निपटान तथा पीड़ित के साथ समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को समाप्त न करने पर अत्यधिक अन्याय का सामना करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक प्रक्रिया का जारी रहना अन्यायपूर्ण होगा या न्याय के हितों के खिलाफ होगा और क्या आपराधिक प्रक्रिया का जारी रहना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा भले ही पीड़ित और गलतकर्ता के बीच समझौता हुआ हो और क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने हेतु उचित है कि आपराधिक मामले का अंत किया जाए। यदि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने में पूरी तरह से अपने अधिकार क्षेत्र में होगा।

7. रिकॉर्ड की जांच से यह स्पष्ट होता है कि इस मामले में शामिल अपराध घातक अपराध नहीं हैं और न ही इस मामले में मानसिक विकृति का कोई गंभीर अपराध शामिल है, बल्कि यह पक्षों के बीच एक निजी विवाद से संबंधित है, जो मूलतः नागरिक स्वरूप का है।

8. अपराधी और पीड़ित के बीच पूर्ण समझौते के कारण, याचिकाकर्ता की सजा की संभावना बहुत कम और धुंधली है और आपराधिक मामले का जारी रहना याचिकाकर्ता पर अत्यधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह डाल सकता है, और उसे पूर्ण और संपूर्ण निपटान तथा पीड़ित के साथ समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को समाप्त न करने पर अत्यधिक अन्याय का सामना करना पड़ेगा।

9. इसलिए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां बिस्टुपुर थाना मामला संख्या 144/2023 से उत्पन्न समस्त आपराधिक अभियोग, जो वर्तमान में माननीय

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना के अनुसार समाप्त और रद्द किया जाना चाहिए।

10. तदनुसार, बिस्टुपुर थाना मामला संख्या 144/2023 से उत्पन्न समस्त आपराधिक अभियोग, जो वर्तमान में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, याचिकाकर्ता के खिलाफ समाप्त और रद्द किया जाता है।

11. परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविध याचिका स्वीकार किया जाता है।

12. तत्काल आपराधिक विविध याचिका के निपटान के दृष्टिगत, अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 10968/2023 भी इसी प्रकार निपटाई जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

तारीख: 10 जनवरी, 2023

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|